स्वच्छ भारत

कार्यालय जिला पंचायत, नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष :- 07781-252288 फैक्स 07781-252287, Email : ceozpnarayanpur@gmail.com

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक/12/अमुस/पंग्राविवि/2017 दिनांक 07.01.2017 के तहत् दिये गये निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कियान्वयन हेतु जनपद पंचायत स्तर पर आवास मित्र का चयन किया जाना है। आवास मित्र हेतु कम आवेदन प्राप्त होने के कारण इच्छुक योग्य उम्मीद अपने जनपद पंचायत हेतु पुनः आवेदन दिनांक 04.02.2017 को कार्यालयीन समय तक कार्यालय जिला पंचायत में आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा कर सकते है। आवेदन का प्रारूप व शैक्षणिक योग्यता संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgstate.gov.in & www.narayanpur.gov.in** तथा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

आदेशानुसार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क./5993/जि.प./स्था./2016–17 नारायणपुर दिनांक 27.01.2017

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना अधिकारी,NIC नारायणपुर उक्त प्रेस विज्ञप्ति को **www.cg.gov.nic.in** व जिले की वेबसाईट **www.zpnarayanpur.gov.in** पर अपलोड करने हेतु (प्रेस विज्ञप्ति PDF में)
2. सहायक जनसंपर्क अधिकारी को सूचनार्थ कर, लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित करें।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

27/1/17

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

"आवास मित्र" हेतु मार्गदर्शिका

प्रस्तावना :– "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)" का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को सन् 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2019 तक आवासहीन परिवारों को साफ–सुथरे रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। प्रदेश में वृहत् स्तर पर निर्मित किए जाने वालों आवासों को ध्यान में रखते हुए, हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से 100 हितग्राहियों के लिए कलस्टर में 01 **"आवास मित्र"** की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। आवास मित्र को आबंटित क्लस्टर के आवासों को, 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

1. **क्लस्टर निर्माण :–** जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जावेगा। प्रत्येक समूह में 01 आवास मित्र रखने का प्रयास किया जावें यथासंभव एक समूह में 100 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा, परन्तु यह ध्यान रखा जाए की कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जाएगा।

2. **शैक्षणिक योग्यता :–**

- बी.ई./डिप्लोमा/12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी **"आवास मित्र"** चयन के लिए पात्र होगें। बी.ई. सिविल तथा डिप्लोमा सिविल उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके पश्चात् शेष अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेंगा।
- चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्ति किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर में सेवा ली जावेगी।

3. **चयन का आधार :–** अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जावेगा एवं अंको की गणना निम्नानुसार Weightage दी जावेगी :–
   1. हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको का 75%
   2. बी.ई./डिप्लोमा का 25 %।

4. **आवेदनः–** जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जावेगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेगें।

5. **आयुः–**आवास मित्र हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होगें।

6. **चयन समिति :–** जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ परियोजना/सहायक परियोजना अधिकारी PMAY-G के सदस्य होगें।
   जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यंर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए, अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित कलस्टर में आवास मित्र के रूप में ली जावेगी।

7. **प्रोत्साहन राशि** – आवास मित्र को 1000 रू./प्रति पूर्ण आवास के मान से प्रोत्साहन राशि की पात्रता होगी :–
   - 40 प्रतिशत राशि प्लींथ स्तर तक के लिए।
   - 40 प्रतिशत राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात्।
   - शेष 20 प्रतिशत राशि हितग्राही का आवास पूर्ण होने पर।
8. **अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि** :– यदि कोई आवास मित्र संबंधित क्लस्टर में अपने प्रभार के ग्राम पंचायतों में निर्मित होने वाले आवास को 06 माह में पूर्ण करा लेते है, तो उन्हें मानदेय के अतिरिक्त प्रति पूर्ण आवास 200 रू. का प्रोत्साहन राशि पृथक से प्रदान किया जावेगा।
9. **राशि का भुगतानः**– "आवास मित्र" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनांतर्गत 4% Contingency मद से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जावेगा।
10. **समयावधिः**–"आवास मित्र" की सेवा अवधि उनके प्रभार के क्लस्टर के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवास पूर्ण होने तक या अधिकतम 01 वर्ष के लिये होगी।
11. **अवधि की गणना**– "आवास मित्र" के लिए कार्य प्रारंभ करने की अवधि की गणना आवास स्वीकृत होने के साथ ही की जावेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष होगी।
12. **जॉब चार्ट** :– हितग्राहियों का उन्मुखीकरण करना।
   - 09 माह या अधिकतम 01 वर्ष की समय–सीमा में आवास पूर्ण कराना।
   - आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना ।
   - हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय करना।
   - आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित कराना।
13. **विशेष** :–

- चयनित "आवास मित्र" प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में शासन–प्रशासन द्वारा जारी आदेश/निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य होगा।